

348

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

॥/नि./सीहोर/भू.रा./2018/1909

रईस मो. खान पुत्र श्री बट्टू खान  
निवासी-तलई मोहल्ला, इंदौर रोड,  
नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर---निगरानीकर्ता  
विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा-50 सहपठित धारा-8 म.प्र. भू-राजस्व  
संहिता-1959

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय तहसीलदार महोदय, नसरुल्लागंज जिला  
सीहोर द्वारा प्र0कं0-1/अ-76/05-06 में पारित आदेश दिनांक  
20.02.2018, 27.02.2018 से, दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी

मा.दि.नं. 13/2/18  
शे.रा.गंज

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र


प्रकरण क्रमांक 2/R/LR/सीडोर/1909,

रईस खाँ v/s शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

20/12/18

आवेदक की ओर से श्री मेटरवान सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नसरुल्ला गंज, सीडोर के प्रकरण क्रमांक 01/39-76/05-06 में पारित आदेश दिनांक 20/02/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीडोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सीडोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

  
सदस्य



